

क.सं. 8 (मिगाम)



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोक नयक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003

सं० केएलबी/10/2011/एसटीजीएमपी/एटीओटीएच/आर.सं. 111

Dated

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
मध्य प्रदेश सरकार,
भोपाल

26-09-2011

विषय: श्री गौरी शंकर बिसेन, सहकारिता मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के पटवारी श्री देवेन्द्र मर्सकोले को दिनांक 26-07-2011 को एक आम सभा के दौरान जाति आधार पर अपमानित करना, भरी सभा के सामने कान पकड़ कर उठ-बैठ कराना एवं दिनांक 27-07-2011 को श्री गौरीशंकर बिसेन द्वारा अनुसूचित जनजाति के सुनील उइके को जाति आधार पर अपमानित करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आयोग के समसंख्यक पत्र दिनांक 09-09-2011 के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक, सिवनी तथा पुलिस अधीक्षक, छिंदवाड़ा के साथ दिनांक 20-09-2011 को आयोग में हुई बैठक के कार्यवृत्त की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु आपको संलग्न है।

अनुरोध है कि मामले में बैठक के कार्यवृत्त में उल्लिखित बिन्दुओं पर की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट पत्र प्राप्ति के तुरन्त बाद आयोग को भिजवाने का कष्ट करें।

5968+70

26/9/11 जारी किया
का.सं. 8 (मिगाम)

प्रतिसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु :

1. पुलिस अधीक्षक, सिवनी (मध्य प्रदेश)
2. पुलिस अधीक्षक, छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश)

भवदीय,

क० शंकर
(के०डी० बन्सौर)
उप निदेशक

सं0 केएलबी/10/2011/एसटीजीएमपी/एटीओटीएच/आर.यू.-III

विषय: श्री गौरी शंकर बिसेन, सहकारिता मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के पटवारी श्री देवेन्द्र मर्सकोले को दिनांक 26-07-2011 को एक आम सभा के दौरान जाति आधार पर अपमानित करना, भरी सभा के सामने कान पकड़ कर उठ-बैठ कराना एवं दिनांक 27-07-2011 को श्री गौरीशंकर बिसेन द्वारा अनुसूचित जनजाति के सुनील उइके को जाति आधार पर अपमानित करने के संबंध में दिनांक 20-09-2011 आयोग के समक्ष हुई बैठक का कार्यवृत्त ।

बैठक में उपस्थित:

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग		
1.	डा0 रामेश्वर उराँव	अध्यक्ष
2.	श्री आदित्य मिश्रा	संयुक्त सचिव
3.	श्रीमती के0डी0 बन्सौर	उप निदेशक
4.	श्री एन0के0 मारन	अनुसंधान अधिकारी
5.	श्री हरिराम मीणा	वरिष्ठ अन्वेषक
मध्य प्रदेश शासन		
1.	श्री आशिष	पुलिस अधीक्षक, छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश)
2.	श्री आर0के0 जैन	पुलिस अधीक्षक, सिवनी (मध्य प्रदेश)

विषय/मुद्दा- अनुसूचित जनजाति के अधिकारी/व्यक्तियों को मध्य प्रदेश शासन मंत्री द्वारा अपमानित करने के संबंध में

पृष्ठभूमि

अनुसूचित जनजाति के अधिकारी श्री देवेन्द्र मर्सकोले को दिनांक 26-07-2011 ग्राम छिंदा के शाला उन्नयन कार्यक्रम में श्री गौरी शंकर बिसेन, सहकारिता मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बैठक के दौरान जातिगत आधार पर अपमानित करना, भरी सभा के सामने कान पकड़ कर उठ-बैठ कराना एवं दिनांक 27-07-2011 को श्री गौरीशंकर बिसेन द्वारा अनुसूचित जनजाति के श्री सुनील उइके को जिला योजना समिति, छिंदवाड़ा की बैठक में जातीय आधार पर अपमानित करने के मामले पर संज्ञान लेते हुए आयोग द्वारा आवश्यक कार्रवाई एवं वस्तुस्थिति हेतु पुलिस महानिदेशक, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल को पत्र दिनांक 12-08-2011 भेजा गया तत्पश्चात् अनुस्मरण पत्र दिनांक 09-09-2011 भेजा गया। इस मामले में मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोग को उत्तर प्राप्त नहीं होने पर माननीय आयोग द्वारा दिनांक 20-09-2011 पुलिस महानिदेशक, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल को चर्चा के लिए बुलाया।

Rameshwar Oraon

पुलिस महानिदेशक, भोपाल द्वारा प्रकरण पर पत्र दिनांक 18-09-2011 आयोग को भेजा गया और अवगत कराया कि प्रकरण में दोनों घटनाओं दिनांक क्रमशः 26-07-2011 एवं 27-07-2011 पर आवश्यक कार्रवाई हेतु क्रमशः पुलिस अधीक्षक, सिवनी एवं पुलिस अधीक्षक, छिंदवाड़ा को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि मामले में अभी जांच कार्रवाई पूर्ण नहीं हुई है। अतः संबंधित दोनों पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 20-09-2011 को आयोग के समक्ष उपस्थित होकर मामले की अद्यतन स्थिति से अवगत करावें। पुलिस महानिदेशक ने यह भी अनुरोध किया कि दिनांक 20-09-2011 को मध्य प्रदेश में राजनीतिक दलों द्वारा प्रदेश स्तरीय आंदोलन की घोषणा के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से उनकी मुख्यालय में उपलब्धता आवश्यक है। इसलिए उक्त दिनांक को आयोग में उनकी उपस्थिति को छूट दी जाए। जांच रिपोर्ट पूर्ण हो जाने पर जांच रिपोर्ट के अवलोकन के उपरांत यदि आयोग उनकी उपस्थिति आवश्यक समझता है तो वे अगले अवसर पर उपस्थिति हो जायेंगे।

मामले में चर्चा

प्रकरण में पुलिस अधीक्षक सिवनी एवं पुलिस अधीक्षक, छिंदवाड़ा आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। पुलिस अधीक्षक, सिवनी ने आयोग के माननीय अध्यक्ष को जानकारी दी कि श्री देवेन्द्र मर्सकोले पटवारी की शिकायत पर जांच की जा रही है। जांच में आया है कि श्री मर्सकोले आदिवासी पटवारी से श्री गौरी शंकर बिसेन, सहकारिता मंत्री ने एक बार मिटिंग में उठबैठ लगवायी है तथा श्री मर्सकोले ने शिकायत एक दिन बाद रिपोर्ट दिनांक 27-07-2011 को थाना प्रभारी, अजाक (सिवनी) को लिखवायी गयी है। अध्यक्ष महोदय ने पुलिस अधीक्षक, सिवनी के उक्त वक्तव्य पर आपत्ति दशार्या और कहा कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति श्री मर्सकोले के साथ हुई घटना से उनके दिमाग पर मनोवैज्ञानिक असर हुआ होगा तथा उसके बाद हिम्मत कर अपने साथ घटित दुर्व्यहार एवं मन स्थिति से उभरकर उन्होंने पुलिस को शिकायत की।

आयोग ने पाया कि आयोग द्वारा संज्ञान लेने के बाद एवं एक आदिवासी व्यक्ति की शिकायत पर डेढ़ माह से अधिक समय हो जाने के पश्चात् भी मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की तथा मामले में पुलिस की जांच चल रही है। भारतीय दंड संहिता के नियमों को भी मद्देनजर नहीं रखा गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धाराओं का भी अनुपालन न करते हुए एफआईआर दर्ज नहीं करना संबंधित अधिकारियों द्वारा अधिकारों का उल्लंघन प्रतीत होता है।

माननीय अध्यक्ष ने कहा है कि कानून के निर्देशानुसार इस मामले कार्रवाई की जानी चाहिए। पुलिस अधीक्षक, सिवनी एवं छिंदवाड़ा को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1) (x) की धारा यथा 'जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का अपमान करने के आशय से साशय उसको अपमानित या अभिन्नस्त करेगा', का अनुपालन क्यों नहीं किया गया। आयोग ने अधिनियम के

Rameshwar Oraon

अध्याय 2 की धारा 4 की ओर ध्यानाकर्षण करवाया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का उल्लंघन पुलिस विभाग व पुलिस अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक, छिंदवाड़ा ने अवगत कराया कि आयोग के पत्र दिनांक 12-08-2011 में श्री सुनील उइके के द्वारा लिखित संयुक्त प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, छिंदवाड़ा को दिनांक दिनांक 27-07-2011 दिया गया तथा सीधे मामले से संबंधित नहीं है। आयोग द्वारा पुलिस अधीक्षक, छिंदवाड़ा का ध्यान संयुक्त प्रतिवेदन में शिकायत " दिनांक 27-07-2011 को दर्शाया गया कि जिला योजना समिति की बैठक में श्री गौरीशंकर जी बिसेन प्रभारी मंत्री महोदय की अध्यक्षता में जो बैठक कलेक्ट्रेट समाकक्ष में आयोजित की गयी थी। उक्त बैठक के दौरान श्री सुनील उइके ने ग्राम सेमरकुई और डुंगरिया के 37 आदिवासियों की जमीने गलत ढंग से अधिकृत करने का मुद्दा उठाया था जिसको लेकर माननीय प्रभारी मंत्री जी नाराज हो गये और आदिवासियों का उन्होंने अपनी भाषा में उपहास एवं आपत्तिजनक टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा केवलारी में आदिवासी अधिकारी को कान पकड़ कर माफी मंगवाया और आदिवासी समाज के लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते हैं लेकिन उन्हें अक्ल-वकल कुछ नहीं होती और उनसे काम कराने के लिए मुझे उनकी आरती उतारना पड़ेगा तब वो कार्य करेगा।" पुलिस अधीक्षक, छिंदवाड़ा ने उपरोक्त पर कहा कि उनके द्वारा मामले में जांच की जा रही है। श्री तेजराम, विधायक के बयान ले लिए गए हैं तथा श्री सुनील उइके के साक्ष्य/बयान नहीं लिए जा सके क्योंकि वो नहीं मिल पाये हैं।

आयोग ने पुलिस विभाग द्वारा जांच एवं देरी को गंभीरता से लिया है। संज्ञेय अपराध की पुनरावृत्ति श्री गौरीशंकर बिसेन, मंत्री ने उस समय दोहरायी जब श्री उइके ने दिनांक 27-07-2011 को जिला योजना समिति, छिंदवाड़ा में ग्राम सेमरकुई और डुंगरिया के 37 आदिवासियों की जमीन में गलत ढंग से अधिग्रहीत करने का मुद्दा उठाया था। श्री बिसेन मंत्री ने इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया फिर भी पुलिस विभाग, छिंदवाड़ा द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत एफआईआर दर्ज नहीं किया जाना कानून का उल्लंघन है। पुलिस अधीक्षक, छिंदवाड़ा का यह कहना कि श्री उइके के साथ जातिगत अपमान नहीं हुआ है यह सही प्रतीत नहीं होता है।

निष्कर्ष/संस्तुति

आयोग ने पुलिस अधीक्षक, सिवनी तथा पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा को सलाह दी गयी कि वे श्री मर्सकोल एवं श्री उइके की शिकायतों पर एफआईआर दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई करें। कथित दोनों मामलों में देरी किए जाने एवं नियमों का अनुपालन नहीं किए जाने को आयोग ने गंभीरता से लिया है। अतः माननीय अध्यक्ष ने पुलिस महानिदेशक, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल को आयोग में दिनांक 27-09-2011 को 11.00 बजे मामले से संबंधित दस्तावेजों सहित आयोग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की सलाह दी।

Rameshwar Oraon

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi